बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0–4/निदे0 छात्रावास(कोर्ट केस)81–04/2025– 285

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा0प्र0से0
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
बाँका।

पटना, दिनांक– 13/01/2026

विषयः–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बाँका जिलान्तर्गत T.Exe-05/89 रत्नाकर शर्मा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद में माननीय न्यायालय, बाँका द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में डिक्रीदार को जयघोष राशि से संबंधित ब्याज के भुगतान करने हेतु कुल राशि ₹1,17,078/–(एक लाख सतरह हजार अठ्ठहत्तर रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बाँका जिलान्तर्गत T.Exe-05/89 रत्नाकर शर्मा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद में माननीय न्यायालय, बाँका द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में डिक्रीदार को जयघोष राशि से संबंधित ब्याज के भुगतान करने हेतु कुल ₹1,17,078/–(एक लाख सतरह हजार अठ्ठहत्तर रू0) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

उक्त जयघोष राशि की स्वीकृति विधि विभाग के पत्रांक–8432 दिनांक–15.12.2025 द्वारा दी गई है। यह राशि T.Exe-05/89 रत्नाकर शर्मा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद में माननीय न्यायालय, बाँका द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवंटित की जाती है।

2–उपर्युक्त सूद की राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत माँग संख्या–13, बजट मुख्यशीर्ष–2049–ब्याज अदायगियाँ (प्रभृत), उप मुख्यशीर्ष–60–अन्य दायित्वों पर ब्याज, लघुशीर्ष–701–विविध, उपशीर्ष–0003–विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय, विस्तृत शीर्ष–45–ब्याज, विषयशीर्ष–01–ब्याज, विपत्र कोड संख्या–13–2049607010003 के अंतर्गत उपबंधित राशि से व्यय किया जाएगा।

3– इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, बाँका होंगे जो निकासी की गयी राशि की व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करायेंगे। उप विकास आयुक्त, बाँका इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4– वित्त विभाग के पत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5– संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

7– संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष–2025–26 के लिए किया जाएगा।

8– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

13/1/26

निदेशक

ज्ञापांक–4/निदे0 छात्रावास(कोर्ट केस)81–04/2025– 285 पटना, दिनांक – 13/01/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बाँका/उप कोषागार पदाधिकारी, बाँका/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव कोषांग के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, बाँका/उप विकास आयुक्त, बाँका/प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/26

निदेशक।